प्रस्तावना

1. नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के डी0पी0सी0 एक्ट, 1971 की धारा 20(1) के अन्तर्गत भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक को हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सुपुर्द पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता के नियमों एवं शर्तों के अनुरूप वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन राज्य सरकार को हिमाचल प्रदेश विधान सभा के समक्ष रखे जाने के लिए प्रस्तुत किया गया है।

2. यह प्रतिवेदन राज्य में पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों की क्रियाविधि का विहंगावलोकन उपलब्ध करवाता है तथा निष्पादन विभागों का 2012-13 के दौरान लेखापरीक्षा के मुख्य लेखापरीक्षा परिणामों की तरफ उचित सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए ध्यान दिलाता है।

3. प्रतिवेदन में चार अध्याय हैं। अध्याय-1 तथा अध्याय-3 में पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों का विहंगावलोकन तथा वित्तीय प्रतिवेदन पर टिप्पणियां हैं। अध्याय-2 तथा अध्याय-4 में पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों की लेनदेन लेखापरीक्षाओं से उभर कर आने वाले परिणाम हैं।

4. इस प्रतिवेदन में वर्णित मामले 117 पंचायती राज संस्थाओं (छः जिला परिषदें, 19 पंचायत समितियां तथा 92 ग्राम पंचायतें) तथा 15 शहरी स्थानीय निकायों (एक नगर निगम, छः नगर परिषदें तथा आठ नगर पंचायतें) के लेखा की लेखापरीक्षा से उभर कर आने वाले मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्षों का समेकन हैं तथा वर्ष 2012-13 के दौरान पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के वार्षिक लेखा (प्राप्तियां एवं व्यय लेखा) की नमूना जांच के दौरान जो मुख्य रूप से ध्यान में आए उनमें से हैं।